प्रेम सिंह - भागीरथ मु.न. 98/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......[illegible]...... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 98/2019

1 प्रेम सिंह पुत्र पुराराम
2 बनवारी पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी मोठूवाली तन कांसरडा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भागीरथ पुत्र सुरजा (मृत)
1/1 संतोष देवी पत्नी भागीरथ
1/2 शंकर पुत्र भागीरथ
1/3 भंवर पुत्र भागीरथ
समस्त जाति बलाई निवासीगण सौथलिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 संजय पुत्र हरफुल (अविवाहित नावारिस फौत)
3 प्रभात पुत्र बोदिया (मृत)
3/1 सुरेश पुत्र प्रभात जाति बलाई निवासीगण सौथलिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का कांसरडा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5 तहसीलदार श्रीमाधोपुर।
6 श्रीराम बुनकर पुत्र रूपाराम बुनकर जाति बलाई निवासी चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
7 संज्या देवी पत्नी पुराराम
8 मुकेश पुत्र पुराराम
9 राजेन्द्र पुत्र पुराराम
10 चौथी देवी पत्नी पोखर
11 कैलाश पुत्र पोखर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 संतोष देवी पुत्री पोखर
13 मंजू देवी पुत्री पोखर
14 रामेश्वर पुत्र पोखर
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी मोठूवाली तन कांसरडा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर प्रार्थना पत्र टी.आई.संख्या 197/2015 उनवानी पूराराम वगै. बनाम भागीरथ वगै. दिनांक 22.10.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री विनोद सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 22.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 197/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराने 172, नये 275 वाके ग्राम कांसरड़ा तहसील श्रीमाधोपुर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 13 के पूर्वज पुराराम व पोखर तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 14 रामेश्वर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 व अन्यों के खिलाफ एक नियमित वाद बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। उक्त वाद के साथ अपीलाधीन प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा यह अभिकथित किया गया कि भूमि खसरा नम्बर पुराने 172 रकबा 14 बीघा 15 बिश्वा बारानी तृतीय जिसके नये खसरा नम्बर 275 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 284 रकबा 1.82 हैक्टेयर तन ग्राम कांसरडा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम अंकित है। उल्लेखित भूमि को पूर्व सेटलमेंट से पूर्व से ही 2/8 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता मृतक मोठूराम एवं 1/3 हिस्सा दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 के पिता व दादा श्वसुर मृतम लादू काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण एवं 1/3 हिस्सा दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का उक्त भूमि से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। केवल मात्र राजस्व अधिकारियों से साज कर खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया है जो मुकाबले प्रार्थीगण खारिज किये जाने योग्य है। उल्लेखित भूमि के 2/3 हिस्सा को प्रार्थीगण अपने ट्यूबवेल से सिंचाई कर काश्त करते चले आ रहे है व इनकी भूमि के पास में ही प्रार्थीगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ने स्वयं की काश्त भूमि में ट्यूबवेल बना रखा है व उस ट्यूबवेल से प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि में ट्यूबवेल से पानी देकर धनिया की फसल काश्त कर रखी है व अपनी खातेदारी की भूमि में जो इसके सींवा जोड है में मकान बनाकर पशुधन सहित आबाद चले आ रहे है। उल्लेखित भूमि की गिरदावरियां पूर्व सेटलमेंट के पूर्व से ही 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता मृतक मोठूराम वल्द मंशा जाट के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है व 1/3 हिस्सा मृतक लादु पुत्र मंशा के नाम से दर्ज है। लादू पुत्र मंशा के वारिस दावे में प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 16 है। उल्लेखित भूमि का लगान सरकारी भी पहले मृतक मोठूराम पुत्र मंशाराम व उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थीगण जमा करवाते आ रहे है। इस भूमि पर प्रार्थीगण ने लाखों रूपये खर्चे कर समतल कर काश्त योग्य व उपजाऊ बनाया है। उल्लेखित भूमि की खातेदारी के बारे में प्रार्थीगण को पहले पता नहीं चला। अरसा करीब एक माह पहले प्रार्थीगण को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की आवश्यकता थी तो वादीगण ने पटवारी हल्का को जमाबंदी के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण को बताया कि उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम है तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण पहले तो हां करते रहे कि तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा देंगे परंतु अब भूमियों की बेतहाशा बढती किमतें देखकर अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी पैदा हो गई और अब दिनांक 25.10.2009 को अप्रार्थीगण ने बिल्कुल इंकार कर दिया और अप्रार्थीगण के कब्जे, काश्त में महाजमत करने बेदखल करने एवं कब्जा करने एवं दीगर व्यक्ति को बेचान करने की धमकी देने एवं राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने इंकार होने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा करना आवश्यक हुआ है। उल्लेखित भूमि से प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 गैर कानूनी तरीके से उनके नाम गलत रूप से आयी खातेदारी के आधार पर उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को बेदखल कर कब्जा छीन लेंगे या रहन व विक्रय आदि कर देंगे तो इससे प्रार्थीगण के विधिक हक हकूक जायल होंगे तथा कृषि भूमि से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

महरूम हो जायेंगे। अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी और प्रार्थीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त गलत अवैध, विधि विरूद्ध एवं मनमानी कार्यवाही को प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है तथा न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है तथा प्रार्थीगण विधिक रूप से काबिज, खातेदार, काश्तकार है व राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के स्थान पर प्रार्थीगण 2/3 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब रेस्पोडेन्ट संख्या 6 श्रीराम बुनकर द्वारा दिया गया जिसमें उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को इंकार करते हुए विशेष कथन में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त विवादित भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का 2/3 हिस्सा चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 उक्त भूमि के रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार व्यक्ति है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 गरीब व अनुसूचित जाति के सदस्य है जो मजदूरी करने के लिए अपने घर से दूर अन्य राज्य में ईंट–भट्टों पर मजदूरी करने के लिए परिवार सहित चले जाते है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी के सींव जोड काश्तकार व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के परिवार में काफी गहरा प्रेम व विश्वास रहा है। इसी विश्वास व प्रेम के चलते अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने मकान व खातेदारी की भूमि की देखभाल का जिम्मा प्रार्थीगण व इसके परिवारजनों को देकर जाते थे व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने समय समय पर प्रार्थीगण व दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 को बंटाई पर काश्त करने के लिए अपनी खातेदारी की भूमियां संभला कर जाते थे व जब भट्टों पर से मजदूरी करके वापिस आते थे तो अपनी जमीनों को वापिस संभाल लेते थे। इसी के चलते प्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी कब्जा, काश्त की भूमि को हड़प करने की नियत से बाला बाला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

रूप से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की जानकारी के अभाव में प्रार्थीगण व दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 ने अपने नाम गिरदावरियों में अंकन करवा लिया। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कतई नहीं रही। प्रार्थीगण द्वारा व दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 द्वारा करवाई गई अवैध रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकन गिरदावरियों के आधार पर किसी प्रकार का कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि कानूनन भी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति की भूमियों पर किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काफी भोले भाले व गरीब अनपढ़ व्यक्ति है जो अपने परिवार व खुद का पालन–पोषण करने के लिये अक्सर बाहर रहते है। विवादित भूमियां अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की पैतृक व मौरूसी भूमियां रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से पूर्व उनके पूर्वज उक्त भूमियों पर पूर्णतः काबिज, काश्त चले आ रहे थे तथा प्रार्थीगण को खातेदारी बाबत पूर्णतः जानकारी थी। क्योंकि प्रार्थीगण व दावे में प्रतिवादी संख्या 4 ता 16 अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पडोसी काश्तकार व्यक्ति होने के कारण खातेदार बाबत सभी जानकारियां थी, लेकिन प्रार्थीण द्वारा यह कहकर आना कि उसको गलत खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज चली आ रही थी, की जानकारी नहीं थी। उक्त समस्त तथ्य प्रार्थीगण ने मनगंढत अंकित किये है। प्रार्थीगण के कथनों से ही यह प्रतीत होतो है कि प्रार्थीगण न्यायालय को मुगालते में रखकर उक्त प्रार्थना पत्र व वाद पत्र पेश किया है जो कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के रहते प्रार्थीगण व दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अपने खातेदारी व कब्जे, काश्त की भूमि को अप्रार्थी संख्या 6 को अपनी घरेलू आवश्यकता होने के कारण बेचान कर दिया था तथा बेचान करने के पश्चात अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थी संख्या 6 को मौके पर अपनी भूमियों कब्जा संभला दिया था तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 6 ही विवादित भूमियों पर काबिज, काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण व दावे में प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 16 की विवादित भूमियों पर किसी प्रकार का कोई कब्जा, काश्त नहीं है ना ही पूर्व में कभी रहा है। अप्रार्थी संख्या 6 के खरीद करने के पश्चात प्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये यह वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 6 ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से दिनांक 07.10.2015 को खरीद करने के पश्चात जब राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए विक्रय लेख प्रस्तुत किया तो प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 275, 284 तन ग्राम कांसरडा बाबत स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो आज दिनांक तक प्रभावी रूप से चला आ रहा है। उक्त स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थीगण का नामांतकरण कार्यवाही नहीं हो पा रही है। प्रार्थीगण अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मिथ्या तथ्य दर्ज करते हुए यह स्थगन आदेश प्राप्त किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में न तो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया तथा न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एवं संविधा के संतुलन का विवेचन ही किया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। प्रार्थी अपीलांट सवर्ण जाति से है। विधि अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर प्रार्थी अपीलांट किसी प्रकार की उद्घोषणा के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का मनन कर विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 148 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट का उद्घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती का वाद विचाराधीन है। विवादित भूमियों पर अपीलांट अपना कब्जा काश्त होना कथन करके आए है। खसरा गिरदावरियों में प्रार्थी अपीलांट की काश्त अंकित है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहूल्यता नहीं हो एवं विवादित भूमि खुर्द–बुर्द नहीं हो इस हेतु विचारण न्यायालय को ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर 275, 284 तन ग्राम कांसरडा तहसील श्रीमाधोपुर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर